


विधवा/वृद्धावस्था पेन्शन हेतु आवेदन पत्र

जिला

तहसील

गाँव/कस्बा/थाना पुलिस स्टेशन



1. आवेदन का नाम
2. (यदि आवंटित हुआ है तो) फोटो पहचान संख्या
पुरुष या स्त्री
3. पिता का नाम
- पूरा पता
4. आवेदन-पत्र देने की तारीख को आयु
- बतलाई गई आयु के लिए प्रमाण पत्र संलग्न हैं।
5. पहचान चिन्ह
6. आवेदक के संबंधियों के विवरण एवं आयु
- (क.) पुत्र का नाम आयु
- (ख.) पौत्र का नाम आयु
- (ग.) पत्नी का नाम आयु

टिप्पणी :- क. केवल संबंधी नामों को ही उनकी आयु के साथ भरा जायेगा।

जो संबंधी न हो उन्हें X दिया जावे।

ख. पुत्र में दत्तक पुत्र सम्मिलित हैं लेकिन सौतेला पुत्र सम्मिलित नहीं हैं।

7. क्या संबंधी/संबंधियों के पास कोई आय या आय का कोई साधन हैं ?
8. क्या इनका कोई संबंधी लगातार लापता हैं ? यदि ऐसा है तो विस्तृत विवरण
(जैसे नाम, उम्र, तारीख) जिससे लापता हैं।
9. क्या आपका कोई जिविका कमाने में पूर्णतया सक्षम हैं ?
10. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि

(क.) 1. मेरे पास कोई स्रोत से कोई आय नहीं होती है।

2. मैं पेन्शन भुगतान आदेश नं. आदेश सं..... दिनांक

के द्वारा (सरकारी विभाग निजी निकाय संख्या किसी अन्य स्रोत के नाम उल्लेख कीजिए)

से प्रति माह पेन्शन/निर्वाह भत्ता प्राप्त कर रहा हूँ/प्राप्त नहीं कर रहा हूँ।

(ख.) मैंने पूर्व में वृद्धा पेन्शन की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया/नहीं किया। यदि आवेदन पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया गया तो यह भी उल्लेख कीजिये कि आया व विचाराधीन है या रद्द कर दिया गया है।

(ग.) मैं राजस्थान राज्य का मूल निवासी हूँ। मैं राजस्थान में गतवर्षों से रह रहा हूँ।

(घ.) मेरे द्वारा प्रस्तुत किये समस्त विवरण जहाँ तक मेरी जानकारी है, सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर
या दाया/बाया हाथ के अंगूठे की निशानी

12. प्रमाण पत्र

यह प्रमाण पत्र संसद/विधानसभा/नगर परिषद्/नगरपालिका/निगम सदस्य या पंचायत के सरपंच/पंचायत समिति के प्रधान/जिला परिषद के प्रमुख या राज्य केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित सहायकारी कर्मचारी द्वारा दिया जायेगा।

मैं श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी
को गत वर्षों से जानता हूँ। उनके पहचान चिन्ह नीचे दिये हैं।

1.
2.

यह स्वस्थ/उन्मादी है।

जहाँ तक मेरी जानकारी में हैं इस आवेदन में दिये गये विवरण सही है।

तारीख

टिप्पणी :-

प्रमाणपत्र देने वाले के हस्ताक्षर
पद एवं पूरा पता

-
1. यदि निराश्रित व्यक्ति विक्षिप्त होने के कारण हस्ताक्षर करने या अंगूठे की निशानी लगाने में समर्थ न हो तो आवेदन पर संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते हैं जो पेन्शन के संबंध में निराश्रित को सहायता देने का वचन देता हो।
 2. आवेदन को फोटोग्राफ की पासपोर्ट आकार की दो प्रतियों संसद सदस्य, विधायक, पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान, जिला प्रमुख, राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा उचित रूप से सत्यापित करा स्वीकृति अधिकारी द्वारा जारी हाने के समय करनी होगी।

विधवा / वृद्धावस्था / अपंग / अपाहिज पेन्शन पत्र 1 का भाग 2

जांच अधिकारी की रिपोर्ट

1. आयु

1. वास्तविक सत्यापन करने पर आयु के प्रमाण पत्र अभिशत
2. देखने पर लगने वाली अनुमानित आयु
3. ग्राम के जिम्मेदार व्यक्तियों, सम्बन्धियों, पटवारी जांच आदि द्वारा बतलाई गई आयु।

2. आय या आय का स्रोत

1. क्या आवेदक के पास भवन, कृषि भूमि आदि जैसी कोई मूल सम्पत्ति है।
2. क्या उसे कृषि, किराया व्यवसाय या नौकरी आदि से कोई आय होती है।
3. अब तक उसके निर्वाह / जीविका का साधन रहा है।
4. कोई अन्य सूचना या विवरण जो जांच करने के बाद / उसके स्थान में लाई गई है।

3. आवेदक के सम्बन्धियों का विवरण

1. पुत्र, पौत्र, पति / पत्नी का नाम उसकी आयु तथा आय का स्रोत नौकरी का विवरण ईत्यादी।
2. क्या सम्बन्धी जीविका कमाने के लिए पूर्णतया अक्षम है यदि हां तो अयोग्यताओं का विवरण दीजिए।

4. पेन्शन का अनुदान

क्या व कोई पेन्शन भत्ता एवं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा यदि है तो पेन्शन भत्तों आदि की राशि का पूर्ण विवरण दीजिये तथा जिस स्रोत से यह प्राप्त किये गये है उसका एवं अन्य आवश्यक विवरणों का उल्लेख दीजिए।

5. अन्य कोई सूचना

6. जांच अधिकारी की सिफारिश

मृत्यु पर्यन्त / तक वृद्धावस्था पेन्शन की सिफारिश की जाती है / नहीं की जाती है।

राशि की रद्द करने के निम्न कारण है।

दिनांक
स्थान

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर

(जो लागु न हो उसे काट दे)